जेवर एयरपोर्ट के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति (संलग्न है)

जेवर एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निम्नवत् प्रस्तुतीकरण किया गया:-

1. *"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"* के अन्तर्गत जेवर एयरपोर्ट हेतु 8 राजस्व ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2018 को प्रकाशित की गई।

2. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2018 में यह निर्णय लिया गया था कि आवश्यकतानुसार *"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"* के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही तथा राजस्वअनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण के अन्तर्गत आपसी समझौते से क्रय की कार्यवाही साथ-साथ की जाए।

3. प्रस्ताव :

a. जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए चिन्हित की गई लगभग 1441 हेक्टेयर कुल भूमि में से लगभग 1328 हेक्टेयर निजी भूमि है। *"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"* के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया अपना कर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाए क्योंकि आपसी सहमति से *शत प्रतिशत निजी* भूमि को प्राप्त कर पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

b. जब तक भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक 70 प्रतिशत भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त ना हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का भूमि क्रय करना अथवा मुआवजा वितरण करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

4. आवश्यकता :

a. एयरपोर्ट के विकास के लिए चिन्हित सम्पूर्ण भूमि प्राप्त करने के बाद ही PPP प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित concessionaire को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

b. यदि मास्टर प्लान के मुताबिक चिन्हित की गई भूमि में से कोई भूमि प्राप्त नहीं हो पाती है, तो एयरपोर्ट का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह एक enclosed secured area होता है। बाउण्ड्री वॉल तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसके अन्दर की सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का नहीं हो जाता।

5. भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की प्रक्रिया:

a. मास्टर प्लान में सम्मिलित 8 राजस्व ग्रामों के लगभग 1441 (कुल)/1328 (निजी) हैक्टेयर भूमि में लगभग 3000 भू-स्वामियों/प्रभावित परिवारों की भूमि सम्मिलित है तथा यह भूमि शहरी/औद्योगिक नगरी के रूप में notified है। अतः आपसी सहमति की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्किल रेट का दोगुना प्रतिकर के रूप में ही दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं।

b. भू-स्वामियों से प्रारूप संख्या-5 पर भूमि क्रय किए जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जाएगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जाएगा।

c. यदि इस प्रारूप पर 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति में आपसी समझौते से भूमि क्रय हेतु विचार किया जा सकता है, परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण में भू-स्वामियों से प्राप्त सहमति विधिक तौर पर बाध्यकारी नहीं है। इस सहमति को भू-स्वामियों द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। अतः यदि सहमति दिए जाने के बाद भी कोई भू-स्वामी अपनी भूमि को राज्य सरकार को हस्तान्तरित ना करना चाहे तो राज्य सरकार के लिए उस भूमि को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

d. भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत 100 प्रतिशत भू-स्वामियों से प्रारूप पर लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भूमि क्रय की जा सकती है किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत 70 प्रतिशत भू-स्वामियों से निर्धारित प्रारूप पर लिखित सहमति हासिल करने के उपरान्त भी भूमि अधिग्रहण करना सम्भव होगा।

6. भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रक्रिया :

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रारम्भ "Preliminary Notification" दिनांक 11 जनवरी, 2018 के माध्यम से किया जा चुका है। वर्तमान में निम्नलिखित प्रक्रियाएं चल रही हैं :-

a. Social Impact Assessment Study की फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद एक्सपर्ट ग्रुप के अप्रूवल के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की अनुमति दिया जाना।

b. *"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"* के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना। इसके अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक 70 प्रतिशत भू-स्वामियों की consent प्राप्त किए जाने की कार्यवाही चल रही है।

c. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत धारा-11 के प्रकाशन की कार्यवाही में प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक समस्त भूमि का नोटिफिकेशन किया जाना आवश्यक है। इसमें कुछ भूमि को आपसी सहमति से क्रय हेतु छोड़ा नहीं जा सकता है।

d. भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित नियमावली, 2016 के अन्तर्गत नियम-14(r) के अनुसार- "No land owner can withdraw his consent once given in the above manner" इस प्रावधान के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा दी गई consent को वापस नहीं लिया जा सकता है।

7. सम्पूर्ण भूमि को एक ही दर पर क्रय किया जाना श्रेयस्कर होगा, अन्यथा लिटिगेशन होगा और अन्ततः अधिकतम दर ही सब को समान रूप से देनी होगी।

4 / ...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. एयरपोर्ट का विकास तथा उस पर बनने वाली अवस्थापना संरचनाओं को प्रारम्भ करने से पहले समस्त भूमि का अधिग्रहण तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अनिवार्य है, कुछ भू-स्वामियों की भूमि किसी कारणवश नहीं ली जा सकी, तो उस पर एयरपोर्ट का निर्माण सम्भव नहीं होगा और अधिग्रहीत की गई भूमि इस प्रयोजन हेतु निरर्थक हो जाएगी।

9. बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. जेवर एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण *"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013"* में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप प्रारम्भ किया जाए।

2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा शीघ्रातिशीघ्र उक्त अधिनियम के अनुसार 70 प्रतिशत भू-स्वामियों से सहमति/Consent निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाए।

3. "Social Impact Assessment" की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए यथासमय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए योजना की तैयारियां कर ली जाए।

4. नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा bid document तथा concessionaire agreement को तैयार कराकर यथावश्यकता राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन।
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 71/2018/1381/छप्पन-2018-31/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. निदेशक, भूमि अध्यासि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8. विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, लखनऊ।
9. उप जिलाधिकारी, जेवर, गौतमबुद्धनगर।
10. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
12. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।